

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
: : मंत्रालय : :
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **06 OCT 2023**

क्रमांक एफ 6-1/2023/सात-3 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित राजस्व निरीक्षकों को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर (सातवां वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8 में) पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में दर्शाये जिले में पदस्थ करता है :-

क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापना जिला	नवीन पदस्थापना जिला
01	02	03	04
1	श्री कन्हैयालाल भोई	महासमुंद	धमतरी
2	श्री धनीराम बाकड़े	दंतेवाड़ा	कोण्डागांव
3	श्री मुलचंद कुर्रे	रायगढ़	जांजगीर-चांपा
4	श्री लालसिंह नेताम	नारायणपुर	बीजापुर
5	श्री परिक्षित मरकाम	धमतरी	नारायणपुर
6	श्री हरलाल नेताम	महासमुंद	धमतरी

- 2/ उपरोक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी ।
- 3/ पदोन्नत सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, उक्त पदोन्नति आदेश स्वमेय निरस्त माना जाएगा ।
- 4/ उक्त पदोन्नति छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम-5 के विरुद्ध मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका W.P.(S) No 9778/2019 एवं WP(PIL) No 91/2019 में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अन्वेष घृतलहरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठांक 0 एफ 6-1 / 2023 / सात-3
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06 OCT 2023

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. स्टाफ आफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़।
7. कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला- छत्तीसगढ़। यदि पदोन्नति आदेश में उल्लेखित किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच के लिये आरोप-पत्र जारी हुआ हो अथवा दण्ड प्रभावशील हो अथवा कर्मचारी निलंबित हो, तो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त न किया जाये तथा स्थिति की विस्तृत जानकारी सहित सूचना राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाये।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- छत्तीसगढ़।
9. संबंधित कर्मचारी छ.ग. की ओर पालनार्थ।
10. राजस्व विभाग की वेबसाइट www.revenue.cg@nic.in में अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग